

शिविर प्रभारी अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर) जिला डूंगरपुर

शिविर स्थल.....पालकड़ा.....दिनांक

18/05/2023

क्रमांक:- राजस्व. वाद / प्रशा. गावों के संग 2023/58-59

दिनांक 18.5.23

आदेश

प्रार्थी के खाता दूरस्ती प्रार्थना-पत्र एवं पटवारी हल्का.....पालकड़ा..... भू.अ. निरीक्षक वृत्त.....

देवल की संयुक्त रिपोर्ट तथा तहसीलदार पालकड़ा की अनुसंशा

के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत ग्राम.....मुवाली.....

त0 पालकड़ा जिला डूंगरपुर की जमाबंदी संवत् 2078

में खाता संख्या 104 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व

रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	<u>मुवाली</u>	<u>104</u>	<u>डी.जे. 21 प रमेश पुत्र धना राज</u>	<u>राधा पुत्र धना</u>

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर (उपखण्ड अधिकारी)
पंचायत समिति डूंगरपुर
प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023

क्रमांक:- राजस्व. वाद / प्रशा. गावों के संग 2023/ 58-59

दिनांक 18.5.23

प्रतिलिपी,

1. तहसीलदार.....को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जा कर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. पटवारी पटवार हल्का.....
3. रक्षित पत्रावली.

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर (उपखण्ड अधिकारी)
पंचायत समिति डूंगरपुर
प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023